न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण रिग्यू 2387-III/15

1. रामगोपाल पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया
3. रामबिलास पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया
4. जागेश्वर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया
5. रमेश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया
6. लखन प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नाथूराम बानिया

समस्त निवासीगण- ग्राम धवाड़, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर

---आवेदकगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बसोरे बानिया (मृत)

वारिसान-

(क) शांतिदेवी बेवा स्व बाबूलाल

(ख) राजेश कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल

(ग) विनोद कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल

(घ) सतीश कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल

(च) सुबोध कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल
निवासीगण– ग्राम धवाड़ तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0

2. गयाप्रसाद पुत्र बसोरे बानिया (मृत)
वारिसान–
(क) पन्नालाल पुत्र गयाप्रसाद
(ख) भरत पुत्र गयाप्रसाद
(ग) प्रभुदयाल गयाप्रसाद
(घ) सुधीर कुमार गयाप्रसाद
निवासीगण– ग्राम धावड़, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0

3. ओमकार पुत्र बसोरे बानिया
निवासी– ग्राम धवाड़, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर,

4. गंगप्रसाद पुत्र स्व0 श्रीराम बानिया
5. जमुना प्रसाद पुत्र स्व0 श्रीराम बानिया
6. संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्रीराम बानिया
7. रमाकान्त पुत्र स्व0 श्रीराम बानिया,
8. दिब्बू पुत्र स्व0 श्रीराम बानिया
निवासीगण– महलवार, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0

-- अनावेदकगण

<u>पुरानवलोन आवेनपत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 14/7/2014 पारित द्वारा माननीय श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2357–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1785–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 14–07–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राहयता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	